



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042022-235036
CG-DL-E-11042022-235036

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1684]
No. 1684]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2022/चैत्र 21, 1944
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2022/CHAITRA 21, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

आयकर

का.आ. 1770(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा “श्री सोमनाथ न्यास (पैन : AAATS9555Q) द्वारा प्रबंधित श्री सोमनाथ मन्दिर” को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ एक ऐतिहासिक महत्व के स्थान और एक प्रसिद्ध उपासना स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 29 /2022/फा. सं.176/2/2022-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव